

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत मेहदावल,  
जनपद-संत कबीर नगर।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 07 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-261/2024/977/002-ई-1869482, दिनांक-29.11.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्यों हेतु नगर पंचायत मेहदावल, जनपद-संत कबीर नगर को कुल धनराशि रू0 100.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त की धनराशि रू0 25.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-संत कबीर नगर द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-संत कबीर नगर की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (ब्याज रहित ऋण), अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत नगर पंचायत मेहदावल, जनपद-संत कबीर नगर को द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2026 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- (4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-261/2024/977/002-ई-1869482, दिनांक-29.11.2024 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किशत की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरांत द्वितीय किशत की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किशत की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75.00 लाख (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
SANJAY KUMAR TIWARI  
Date: 07-01-2026  
11:41:29  
(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-285/2025/आर0एफ0-2244/नौ-9-2025/042-ई-1967480, तद् दिनांक।  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-संत कबीर नगर।
6. कोषाधिकारी, जनपद-संत कबीर नगर।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-07/01/2026

प्रेषण संख्या:- 285  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-285-2025-RF-2244-9-9-2025-042-E-1967480  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 150454000	7500000 150454000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7500000 150454000	7500000 150454000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ चार लाख चौवन हजार

(कल्याण बनर्जी)  
विशेष सचिव